राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस–2757 / 2013) / अलेसे–III / 3064 दिनांक :– 24-6-2019

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 61 / 2017–18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा श्री सुरेश चन्द मीणा (मेरिट नं. 2757 बैच 2013 लिंक नं. 11304) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए उप कोषाधिकारी (पेंशन), अलवर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री सुरेश चन्द मीणा द्वारा दिनांक 03.07.2017 को मध्यान्ह पूर्व कार्यग्रहण किया गया।

श्री सुरेश चन्द मीणा ने कोषाधिकारी, अलवर के पत्र क्रमांक 737 दिनांक 10.05.2019 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी परिस्थितियों के कारण पूर्व धारित मेल नर्स ग्रेड–द्वितीय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने हेतु कनिष्ठ लेखाकार के वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त करने का निवेदन किया है। अतः श्री सुरेश चन्द मीणा को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान धारित कनिष्ठ लेखाकार के पद से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री मीणा अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही अपने पूर्व विभाग में कार्यग्रहण कर सकेंगे। इनका कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोई लियन नहीं रहेगा।

24.6.19

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस–2757 / 2013) / अलेसे–III / 3064 दिनांक :– 24-6-2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. कोषाधिकारी, अलवर को भेजकर लेख है कि श्री सुरेश चन्द मीणा, क0 लेखाकार को कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करावें।
2. अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
3. श्री सुरेश चन्द मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)